UPSC : सिविल सेवा परीक्षा

by

Dr. S. S. Pandey

GS Paper – II : SOCIAL JUSTICE

UPSC : सिविल सेवा परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा	साक्षात्कार
सामान्य अध्ययन – I (200 अंक / 2 घण्टा) सामान्य अध्ययन – II (200 अंक / 2 घण्टा) (केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक)	A. सामान्य अध्ययन – 1000 अंक • सामान्य अध्ययन – I (250 Mark 3Hrs.) • सामान्य अध्ययन – II (250 Mark 3Hrs.) • सामान्य अध्ययन – III (250 Mark 3Hrs.) • सामान्य अध्ययन – IV (250 Mark 3Hrs.) B. वैकल्पिक विषय – 500 अंक • वैकल्पिक विषय प्रश्नपत्र – I (250 Mark 3Hrs.) • वैकल्पिक विषय प्रश्नपत्र – II (250 Mark 3Hrs.) C. निबंध (250 Mark 3Hrs.) D. अनिवार्य विषय – 600 अंक (केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक) • अनिवार्य : अंग्रेजी (300 Mark 3Hrs.) • अनिवार्य : भारतीय भाषा (300 Mark 3Hrs.)	275 अंक

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा – सामान्य अध्ययन

सा. अध्ययन-I (250 Marks 3 hrs.)	सा. अध्ययन-II (250 Marks 3 hrs.)	सा. अध्ययन-III (250 Marks 3 hrs.)	सा. अध्ययन-IV (250 Marks 3 hrs.)
• भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास • भारतीय समाज • भारत एवं विश्व का भूगोल	• शासन व्यवस्था, संविधान एवं शासन प्रणाली • सामाजिक न्याय • अंतर्राष्ट्रीय संबंध	• आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी • जैव-विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे • आंतरिक सुरक्षा	नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरूचि

Dr. S. S. Pandey

GENERAL STUDIES
PAPER - II

सामाजिक न्याय
SOCIAL JUSTICE

Social Justice (UPSC : Syllabus)

- *Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.*

  सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

- *The role of NOGs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders in development processes and the development industry.*

  विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग में गैर – सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

- *Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections.*

  केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

- *Issues related to development and management of Social Sectors/Services relating to Health, Education, Human Resources.*

  स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

- **Issues related to poverty and hunger and developmental issues.**

  गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय एवं विकासात्मक मुद्दे।

UPSC - CSE – 2013

पूछे गए प्रश्न - 05/50

1. मध्याह्न भोजन योजना की संकल्पना भारत में लगभग एक शताब्दी पुरानी है जिसका आरंभ स्वतंत्रता-पूर्व भारत के मद्रास महाप्रान्त (प्रेसीडेंसी) में किया गया था। पिछले दो दशकों से अधिकांश राज्यों में इस योजना को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके दोहरे उद्देश्यों, नवीनतम आदेशों और सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

   The concept of Mid Day Meal (MDM) scheme is almost a century old in India with early beginnings in Madras Presidency in per independent India. The scheme has again been given impetus in most states in the last two decades. Critically examine its twin objectives, latest mandates and success.

2. स्वयं सहायता समूहों की वैधता एवं जवाबदेही और उनके संरक्षक, सूक्ष्म-वित्त पोषक इकाईयों का, एक अवधारणा की सतत सफलता के लिए योजनाबद्ध आकलन व संवीक्षण आवश्यक है। विवेचना कीजिए।

   The legitimacy and accountability of Self Help Groups (SHGs) and their patrons, the microfinance outfits, need systematic assessment and scrutiny for the sustained success of the concept. Discuss.

3. केन्द्र सरकार प्रायः राज्य सरकारों के समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों के कष्ट निवारण में खराब प्रदर्शन की शिकायत करती है। जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्गों के सुधार हेतु सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की पुनर्रचना का उद्देश्य राज्यों को उनके बेहतर कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

   The Central Government frequently complains on the poor performance of the State Governments in eradicating suffering of the vulnerable sections of the society. Restructuring of Centrally sponsored schemes across the sectors for ameliorating the cause of vulnerable sections of population aimsat providing flexibility to the States in better implementation. Critically evaluate.

4. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) का आधार संयोजकता (मेल) स्थापित करने में निहित है। टिप्पणी कीजिए।

   The basis of providing urban amenities in rural areas (PURA) is rooted in establishing connectivity. Comment.

5. उन सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्यों को पहचानिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की सफलता की विवेचना कीजिए।

   Identify the Millennium Development Goals (MDGs) that are related to health. Discuss the success of the actions taken by the Government for achieving the same.

UPSC - CSE – 2022

पूछे गए प्रश्न - 06/60

1. गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10

The Gati-Shakti Yojana needs meticulous coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity. Discuss. (Answer in 150 words) 10

2. दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 remains only a legal document without intense sensitisation of government functionaries and citizens regarding disability. Comment. (Answer in 150 words) 10

3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किन्तु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10

Reforming the government delivery system through the Direct Benefit Transfer Scheme is a progressive step, but it has its limitations too. Comment. (Answer in 150 words) 10

4. कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss. (Answer in 250 words) 15

5. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer. (Answer in 250 words) 15

6. स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना, बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा-आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyse. (Answer in 250 words) 15

UPSC - CSE – 2023

पूछे गए प्रश्न - 06/80

1. मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10

The Crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. (Answer in 150 words) 10

2. भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10

Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the Multi-National Corporations in India. Refer to the recent decisions. (Answer in 150 words) 10

3. प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws. (Answer in 250 words) 15

4. "वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

"Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach." Do you agree? Give reasons for your answer. (Answer in 250 words) 15

5. विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के सन्दर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyse the linkages between education, skill and employment. (Answer in 250 words) 15

6. भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) 15

Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India. (Answer in 250 words) 15

सामाजिक न्याय का अर्थ

सामाजिक न्याय, एक मानवतावादी विचारधारा है, जो सभी मनुष्यों को, समान मानने का आग्रह करती है

इसके अनुसार, किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और.....

प्रत्येक के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि, वे उत्तम जीवन जी सके।

अर्थात् समाज के अंतर्गत, धन, अधिकार एवं अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण को, सामाजिक न्याय की संज्ञा दी जाती है।

विकास का अर्थ

विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश, उच्च भौतिक रहन-सहन का स्तर, उच्च स्वास्थ्य का स्तर, उच्च आयु प्रत्याशा, उच्च शिक्षा का स्तर, शक्ति का विकेंद्रीकरण आदि को, प्रकृति एवं विश्व समुदाय के साथ सामंजस्य बनाते हुए, प्राप्त करने का प्रयास करता है

इस तरह विकास की अवधारणा के अंतर्गत, निम्न तत्वों को शामिल किया जा सकता है-

1. विकास..... आर्थिक वृद्धि के रूप में
2. विकास..... जीवन की गुणवत्ता में सुधार के रूप में
3. विकास..... सामाजिक न्याय के रूप में
4. विकास..... सतत विकास के रूप में
5. विकास..... अंतर्राष्ट्रीय मांगों को ध्यान में रखते हुए

   (अर्थात् *Reflective Development*) विश्व विकास पर बल

विकास का मॉडल

विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तीन तरह की विचारधारा अथवा तरीके या मॉडल प्रचलित हैं-

1. पूंजीवादी मॉडल
2. समाजवादी मॉडल
3. मिश्रित मॉडल

वर्तमान समय में, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित एवं सफल मॉडल है। रूस व चीन जैसे देशों ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी मॉडल की ओर उन्मुख किया है। फलतः दुनियां के लगभग सभी देशों में, लोक कल्याणकारी राज्य कमजोर हुआ है और विकास की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय उपेक्षित हुआ है

विकास के मॉडल के आधार पर तीन दुनियां की संकल्पना

1. पहली दुनियां के देश

उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के देश, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल के प्रचलन वाला विकसित देश, यहां नीतिगत एवं संरचनात्मक स्तर पर अन्यायपूर्ण आर्थिक वितरण का संपोषण और राज्य द्वारा विशेष प्रयासों से सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल

2. दूसरी दुनियां के देश

रूस, चीन एवं अन्य समाजवादी देश, समाजवादी मॉडल के प्रचलन वाला मुख्यतः विकसित देश, यहां आधारभूत विकास नीतियों का निर्माण सामाजिक न्याय को संपोषित करने वाला होता है

3. तीसरी दुनियां के देश

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के मुख्यतः अविकसित देश, विकास का मॉडल अस्पष्ट फिर भी मिश्रित मॉडल का अधिक प्रचलन, इन देशों पर वैश्विकरण की प्रक्रिया के प्रभावस्वरूप संचालित विकास प्रक्रिया में, सामाजिक न्याय उपेक्षित

विकास के स्तर के आधार पर विश्व का 3 वर्गों में विभाजन

1. विकासशील देश
2. विकसित देश
3. अविकसित देश

विश्व के देशों द्वारा विकास के लक्ष्यों का संयुक्त रूप से निर्धारण

विकास में सामाजिक न्याय की संकल्पना पर, अलग-अलग देशों ने, अपनी-अपनी तरह से बल, मानवतावाद के उदय के साथ देना शुरू किया आर्थिक संदर्भ में सामाजिक न्याय पर बल, यूरोप में समाजवादी आंदोलन के बाद शुरू हुआ

औपचारिक रूप से, विकास में सामाजिक न्याय को, 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा, 'मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा' (UDHR) के रूप में अपनाया गया, जो दुनियां के अनेक देशों के लिए प्रेरक व मार्गदर्शक रहा तथा इन देशों ने इसको, अपने संविधान एवं विकास नीतियों में स्थान दिया

1972 में स्टॉकहोम में, United Nations Conference on the Human Environment में विश्व के अनेक देशों ने, विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया तथा औपचारिक रूप से सतत विकास के लक्ष्य को अपनाया.....

.....परंतु, सतत् विकास की संकल्पना का, पहली बार औपचारिक रूप से प्रयोग, 1992 में रियो-डी-जेनेरियो (ब्राजील) में, United Nations Conference on Environment & Development (UNCED) के द्वारा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे AGENDA - 21 भी कहते हैं, आयोजित किया गया और अपनाया गया

फलतः
दुनियां के देशों द्वारा अपनी विकास नीतियों में, सतत विकास की संकल्पना को औपचारिक रूप से लागू किया गया और विकास की प्रक्रिया में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जीवांश (जैविक) कृषि, जल संरक्षण, वन संरक्षण और रोपण, वन्य जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण आदि पर बल दिया गया

सतत विकास का अर्थ

सतत विकास, संसाधनों का उपयोग करने का एक आदर्श मॉडल है, जो यह बताता है कि, आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है

सतत विकास का उद्देश्य

वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए,
प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए,
इस प्रकार प्रयोग करना
ताकि प्राकृतिक संसाधनों का
न्यूनतम क्षरण हो

विश्व विकास और मिलिनियम डेवलपमेंट गोल

विश्व विकास की संकल्पना का व्यवस्थित प्रयोग,
संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2000 के
मिलिनियम शिखर सम्मेलन में हुआ,
जिसमें 2015 तक के लिए 8 वैश्विक लक्ष्य चुने गए,
जिन्हें मिलिनियम डेवलपमेंट गोल (MDG)
कहा जाता है

इसमें 2015 तक, 189 देशों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा, 8 लक्ष्यों की प्राप्ति का संकल्प लिया गया, जो निम्नलिखित है–

1. भुखमरी तथा गरीबी समापन
2. सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा
3. लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण
4. शिशु मृत्यु दर कम करना
5. मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना
6. HIV, मलेरिया तथा अन्य बिमारियों से छुटकारा
7. पर्यावरण सततता
8. वैश्विक विकास हेतु संबंध स्थापित करना

Sustainable Development Goal (SDG)

नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री

"एजेंडा 2030 के पीछे की हमारी सोच जितनी ऊँची है हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र हैं। इनमें उन समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है, जो पिछले कई दशकों से अनसुलझी हैं और इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारे विकसित होती समझ की झलक मिलती है। मानवता के 1/6 हिस्से के सतत् विकास का विश्व और हमारे सुंदर पृथ्वी के लिए बहुत गहरा असर होगा।"

एंटोनियो गुटेरेस, UN महासचिव

"2015 में अनुमोदित 2030 एजेंडा और उसके 17 सतत विकास लक्ष्य इन चुनौतियों और इनके अंतर्संबंधों के समाधान के लिए संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इनके अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों को सतत विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं का समाधान संतुलित ढंग से करना होगा। इन पर अमल करते हुए समावेशन और एकीकरण तथा किसी को पीछे छूटने न देने के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।"

संयुक्त राष्ट्र सभा की 17वीं बैठक (2015) में, '2015 पश्चात् विकास एजेंडा ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड - 2030', एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को निर्धारित किया गया,
जहां भारतीय प्रधानमंत्री ने, 2015 पश्चात् विकास एजेंडा पर बोलते हुए, विश्व के देशों को इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आह्वान किया (150 देशों ने हिस्सा लिया)

इसमें, SDG के रूप में,
अगले 15 वर्ष (2030) तक के लिए,
17 लक्ष्यों तथा 169 टारगेट्स (विशिष्ट लक्ष्यों) को तय करते हुए, P5 [People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership] पर बल दिया गया जो निम्नलिखित हैं-

GOAL - 1

No Poverty

गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति

GOAL - 2

Zero Hunger

भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा सतत कृषि को बढ़ावा

GOAL - 3

Good Health and Well-Being

सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना

GOAL - 4

Quality Education

समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना एवं सभी को आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा

GOAL - 5

Gender Equality

लैंगिक समानता को प्राप्त करने के साथ ही सभी महिला/लड़कियों को सशक्त बनाना

GOAL - 6

Clean Water and Sanitation

सभी के लिए स्वच्छता एवं पानी के सतत प्रबंध की उपलब्धता सुनिश्चित करना

GOAL - 7

Affordable and Clean Energy

सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ एवं आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना

GOAL - 8

Decent Work and Economic Growth

सभी के लिए सतत और समावेशी आर्थिक विकास, पूर्ण उत्पादक रोजगार एवं बेहतर कार्य को बढ़ावा देना

GOAL - 9

Industry, Innovation and Infrastructure

लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी व सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा तथा नवाचार को प्रोत्साहन

GOAL - 10

Reduced Inequalities

देशों के बीच एवं देशों के भीतर असमानता की कमी करना

GOAL - 11

Sustainable Cities and Communities

सुरक्षित लचीले और सतत (टिकाऊ) शहर व मानव बस्तियों का निर्माण करना

GOAL - 12

Responsible Production and Consumption

सतत खाद्य और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना

GOAL - 13

Climate Action

जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना

GOAL - 14

Life Below Water

सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र तथा समुद्री संसाधनों का संरक्षण व उसका उपयोग करना

GOAL - 15

Life on Land

सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमिक्षरण, मरूस्थलीकरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना

GOAL - 16

Peace, Justice and Strong Institutions

सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण व समावेशी समाज को बढ़ावा देना तथा सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेही तथा समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके

GOAL - 17

Revitalize the Global Partnership for Sustainable Development

सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुर्नजीवित करने के साथ क्रियान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना

SDG का महत्व

1. संतुलित विकास की दिशा में सामाजिक जुटाव संभव
2. ज्ञान समुदायों – विशेषज्ञता, ज्ञान एवं अभ्यास के नेटवर्क को, सतत विकास की चुनौतियों का समाधान करने हेतु प्रोत्साहित करना संभव
3. हितधारकों (समुदाय के नेता, राजनीतिज्ञ, मंत्रालय, NGO, धार्मिक समूह, अंतर्राष्ट्रीय समूह, दानदाता संगठन आदि) के नेटवर्क को एकजुट करने में सहायक
4. दबाव समूहों के द्वारा या जनता द्वारा, नेतृत्व पर दबाव बनाना एवं उसे गतिशील बनाना संभव
5. विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की गति को तीव्र करना तथा सामाजिक न्याय से युक्त समावेशी एवं सतत विकास को संभव बनाना
6. वैश्विक स्तर पर, विकास में सामाजिक न्याय की स्थापना एवं विश्व के देशों के बीच असामानता की समाप्ति संभव

7. रूढ़िवाद, आतंकवाद, उग्रवाद आदि जैसे वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव

8. पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान एवं पारिस्थितिकी संतुलन की स्थापना संभव

SDG के लक्ष्यों की प्राप्ति के समक्ष चुनौतियाँ

1. विश्व स्तर पर सामाजिक जुटाव की समस्या
2. विभिन्न देशों का निजी स्वार्थ
3. विभिन्न हित समूहों (श्रमिक, बिजनेस मैन, NGO आदि) का स्वार्थ
4. वैश्विक संगठनों का असंतुलित स्वरूप (विकसित देशों के पक्ष में)
5. गैर-लोकतांत्रिक देश एवं उनका समकालीन अप्रोच
6. अविकसित एवं विकासशील देशों के पास वित्त व तकनीकी की समस्या
7. नरम राज्य (Soft State) [कमजोर सरकार]
8. रूढ़िवाद, आतंकवाद एवं उग्रवाद का वैश्विक स्वरूप
9. गिरता नैतिक स्तर
10. अविकसित एवं विकासशील देशों की परंपरागत सामाजिक समस्याएं
11. देश के भीतर की अपनी निजी समस्याएं, जैसे- भ्रष्टाचार आदि
12. कोविड-19 वैश्विक महामारी

SDG की प्राप्ति को सफल बनाने हेतु सुझाव

उपरोक्त चुनौतियों व कमियों को दूर करके ही SDG की अपेक्षित प्राप्ति को संभव बनाया जा सकता है

SDG GLOBAL INDEX

SDG GLOBAL INDEX – 2018 (156 & 13)

जुलाई, 2018 में UN द्वारा जारी, इसमें UN के 193 सदस्य देशों में से 156 देशों को शामिल किया गया, जिसमें-

Rank – 1 – Sweden – Score – 85
Rank – 2 – Denmark – Score – 84.6
Rank – 3 – Finland – Score – 83
Rank – 112 – India – Score – 59.1

SDG GLOBAL INDEX – 2019 (166 & 16)

Rank – 1 – Denmark – Score – 85.2
Rank – 2 – Sweden – Score – 85.0
Rank – 3 – Finland – Score – 82.8
Rank – 115 – India – Score – 61.1

SDG GLOBAL INDEX - 2020 (166 & 16)

Rank – 1 – Sweden – Score – 84.72
Rank – 2 – Denmark – Score – 84.56
Rank – 3 – Finland – Score – 83.77
Rank – 117 – India – Score – 61.92

SDG GLOBAL INDEX - 2021 (165 & 16)

Rank – 1 – Finland – Score – 85.9
Rank – 2 – Sweden – Score – 85.6
Rank – 3 – Denmark – Score – 84.9
Rank – 120 – India – Score – 60.1

SDG GLOBAL INDEX - 2022 (163 & 17)

Rank – 1 – Finland – Score – 86.5
Rank – 2 – Denmark – Score – 85.6
Rank – 3 – Sweden – Score – 85.1
Rank – 121 – India – Score – 60.3

SDG GLOBAL INDEX - 2023 (166 & 17)

Rank – 1 – Finland – Score – 86.7
Rank – 2 – Sweden – Score – 85.9
Rank – 3 – Denmark – Score – 85.6
Rank – 112 – India – Score – 63.4

SDG INDIA INDEX

SDG INDIA INDEX - 2018 (14 Goal)

Rank -1 – Himanchal Pradesh 69
Rank-2 – Kerala 69
Rank-3 – Chandigarh 68
Rank-4 – Tamil Nadu
Rank-5 – Puducherry

Bottom-1 – Assam
Bottom-2 – Bihar
Bottom-3 – UP

SDG INDIA INDEX - 2019-20 (15 Goal)

Rank -1	- Keral	70
Rank-2	- HP	69
Rank-3	- AP	67
Rank-4	- Tamil Nadu	67
Rank-5	- Telangana	67

SDG INDIA INDEX - 2019-20 (15 Goal)

Bottom-1	- Bihar	- 50
Bottom-2	- Jharkhand	- 53
Bottom-3	- Arunachal Pradesh	- 50
Bottom-4	- Meghalya	- 54
Bottom-5	- UP & Assam	- 55

SDG INDIA INDEX - 2020-21 (16 Goal)

Rank -1	- Kerala	75
Rank-2	- TN & HP	74
Rank-3	- AP, Goa, Karnataka	72
Rank-4	- Sikkim	71
Rank-5	- Maharashtra	70

SDG INDIA INDEX - 2020-21 (16 Goal)

Bottom-1	- Bihar	52
Bottom-2	- Jharkhand	56
Bottom-3	- Assam	58
Bottom-4	- Arunachal Pradesh	60
Bottom-5	- Chhattisgarh, Odisa, Nagaland	61

Dr. S. S. Pandey

Development in India

भारत में विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् .....

भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय से युक्त, विकसित, आधुनिक भारत के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसे संविधान की प्रस्तावना में (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, समाजवाद और .....

और .....

लोकतांत्रिक समाज के निर्माण का लक्ष्य) शामिल किया गया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी राज्य को दी गयी

(अनुच्छेद - 38, 38 (2), 39(A), 41, 42, 43, 43(A), 45, 46, 47 आदि)

भारत राज्य द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के गठन के साथ, संविधान एवं विधान (कानून) के माध्यम से, मिश्रित मॉडल के तहत् नियोजित विकास की प्रक्रिया शुरू की गयी और विभिन्न विकास नीतियों एवं विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से, सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास शुरू किया गया

इस दिशा में, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और इस आयोग द्वारा, इस विकास के उद्देश्य के बारे में कहा गया कि....

एक ऐसी विकास की प्रक्रिया को धारण करना, जो जीवन स्तर ऊंचा उठाये एवं सभी व्यक्तियों के लिए धनी बनने और विविधताओं से पूर्ण जीवन जीने के लिए, नये अवसर प्रदान कर सके।

अर्थात् सामाजिक न्याय से परिपूर्ण विकास

भारत में विकास संबंधी दृष्टिकोण / विकास नीति की प्रकृति

भारत में आजादी के बाद से लेकर आज तक, विकास नीति में कई परिवर्तन आये हैं, जिन्हें मुख्यतः 4 भागों में बाँट कर देखा जा सकता है-

1. विकास की प्रथम अवस्था में.....,

आजादी के बाद विकास प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि पर विशेष बल दिया गया और आजादी के प्रारंभिक वर्षों में इस तरह की नीति बनायी गयी जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि लाना था,

क्योंकि यह माना गया कि.....

..... यदि एक बार आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो गयी, तो अदृश्य शक्तियों के द्वारा, सामाजिक विकास एक सामाजिक न्याय का लक्ष्य स्वतः प्राप्त हो जायेगा।

विकास के इस दृष्टिकोण को ट्रिकल डाउन थ्योरी कहा जाता है

2. विकास की दूसरी अवस्था में.....,

विकास नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि, केवल आर्थिक वृद्धि से विकास संभव नहीं है, इसलिए आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है- क्योंकि....

क्योंकि.....

यह परंपरागत संरचनाएं, आधुनिक विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है

फलतः विकास की इस नीति में संरचनात्मक आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया और इस दिशा में कई कार्यक्रम बनाये गये

3. विकास की तीसरी अवस्था में.....,

विकास नीति में, इस बात पर चर्चा की गयी कि, आर्थिक वृद्धि एवं आधुनिकीकरण तो हो, परंतु मानवीय मूल्य भी उपेक्षित न हो

अर्थात् विकास की इस प्रक्रिया में मानवीय पक्ष पर विशेष बल दिया गया और सामाजिक न्याय पर केंद्रित अनेक विकास कार्यक्रम बनाये गए

4. भारत में विकास की चौथी अवस्था को ***Reflexive Stage*** के रूप में जाना जाता है, जहां पुनः विकास नीति में परिवर्तन दिखता है।

इस अवस्था में ऐसी विकास नीति के निर्माण पर बल दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास को भी ध्यान में रखा जाये.....

..... और इस बात पर भी जोर दिया गया कि, विकास इस तरह का हो, जहां मानवता के लिए खतरा उत्पन्न न हो

अर्थात् विकास को वैश्विक पैमाने पर मापा गया और अंतर्राष्ट्रीय मांगों के अनुरूप विकास नीति बनायी गयी, जिसमें सतत् विकास एवं विश्व विकास पर बल दिया जा रहा है

स्पष्ट है कि.....

भारत में विकास नीति में समय-समय पर बदलाव होता रहा है, परंतु इन सभी नीतियों में एक बात सामान्य रही है, वह यह है कि,

विकास नीति के निर्माण में सामाजिक न्याय पर बल

नियोजित विकास
(Planned Development)

स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजित विकास पर बल दिया गया और इस दिशा में योजना आयोग का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन, विभिन्न मंत्रालयों का गठन आदि के द्वारा, नौकरशाही व्यवस्था के सहयोग से प्रयास शुरू किया गया

साथ ही, कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और कमजोर वर्ग से संबंधित विशेष मंत्रालयों के गठन द्वारा, विकास में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास, विशेष रूप से किया गया

भारत में योजना आयोग एवं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, विकास नीतियों का निर्माण और उसके अनुरूप विकास कार्यक्रमों का निर्माण करके, विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया

भारत में, इस नियोजित विकास का एक प्रमुख तत्व पंचवर्षीय योजना रही है, जिनके माध्यम से प्रत्येक 5 वर्ष के लिए योजना का निर्माण करके तथा विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करके, उसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया

प्रथम पंचवर्षीय योजना सन् 1951 में शुरू हुई, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) तक चली। इन योजनाओं में, समय-समय पर सामाजिक विकास के प्रमुख घटकों के साथ सामाजिक न्याय पर बल दिया गया

11वीं पंचवर्षीय योजना में, समावेशी विकास तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में, तीव्र सतत् विकास और अधिक समावेशी विकास पर बल दिया गया

2015 में, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और 2017 के बाद, पंचवर्षीय को सामाप्त करते हुए, नीति आयोग के परामर्श पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, नियोजित विकास को अग्रसारित किया गया

इस तरह से.....

स्वतंत्रता के बाद से आज तक, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर, विकास की प्रक्रिया क्रियाशील रही है और इसके द्वारा, विकास के लक्ष्यों को काफी हद तक प्राप्त किया गया है [उपलब्धियों की चर्चा करें]।

परंतु.....

अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर है और भारत में विकास, सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है, जैसे-

1. आज भी गरीबी (21.2% जनसंख्या BPL - Global MPI Report 2020 – UNDP) एवं आर्थिक विषमता विद्यमान है और समाज का बहुत बड़ा वर्ग निम्नतर जीवन स्तर में जीने को विवश है और भुखमरी का शिकार है (Global Hungar Index में 116 देशों में भारत का 101वां स्थान)

2. आज भी विकास में क्षेत्रीय विषमता, प्रांतीय विषमता (केरल में MPI 0.71% और बिहार में 51.91% - 2021) सामुदायिक विषमता, ग्रामीण - नगरीय विषमता आदि विद्यमान है फलतः क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, प्रवास जैसी समस्याओं का उद्भव हुआ है

3. आज भी, 22.3% (NSO - 2021) निरक्षरता के साथ शिक्षा का निम्न स्तर एवं शैक्षिक असमानता (लिंग, जाति, वर्ग आदि के आधार पर) विद्यमान है

4. स्वास्थ्य विकास के क्षेत्र में, मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी के साथ-साथ, समाज का गरीब तबका आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित है

5. जातीय असमानता एवं लिंग असमानता, आज भी भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण बने हैं, और दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, SC, ST, वृद्ध, बच्चे, मादक द्रव्य, व्यसनीय आदि भी, विकास की मुख्य धारा से बाहर है और अपवर्जित समूह के रूप में, भारतीय समाज में विद्यमान है

6. किसान आत्महत्या, विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं आदि भी, नवीन समस्या के रूप में उभरी है, जिन्हें विकास जनित समस्या के रूप में देखा जा रहा है

7. रूढ़िवादिता, परंपरागत मान्यताएँ, अस्पृश्यता, जैसी सामाजिक बुराईयाँ आज भी भारतीय समाज में विद्यमान है

भारत में विकास नीति एवं विकास कार्यक्रम के अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे / कमियाँ / चुनौतियाँ

विकास नीति एवं कार्यक्रम के निर्माण एवं अभिकल्पन के स्तर पर कमियाँ

1. विकास नीति एवं कार्यक्रमों के निर्माण में, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का होना

2. विकास से जुड़ी नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में- परिस्थितियों, लोगों की आवश्यकताओं एवं सामाजिक मूल्यों पर, वैज्ञानिक तरह से विचार का अभाव और भूल सुधार के तर्ज पर विकास नीतियों का निर्माण (सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, जनसंख्या नीति 1976 आदि)

UPSC - 2018

5. आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस, भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के स्तर पर कमियाँ/मुद्दे

3. विकास नीति एवं कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन के पीछे, निश्चित वैचारिकी का अभाव रहा है और चुनाव को ध्यान में रखकर विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं उनका राजनीतिकरण (जैसे- जवाहर रोजगार योजना)

- सरकार परिवर्तन के साथ, योजनाओं के प्रति सरकारी उदासीनता एवं उनका नाम परिवर्तन **(JNNURM - AMRUT)**

  फलतः कार्यक्रमों का टुकड़ों में क्रियान्वयन, फलतः उनका अपेक्षित लाभ न मिल पाना

- कार्यक्रमों का, अन्य कार्यक्रमों में विलय की प्रक्रिया से, विभागीय स्तर पर परेशानी तथा लाभार्थियों में असमंजस

4. विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य परस्पर समन्वय का अभाव एवं एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तथा परस्परिक तनाव एवं राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं हेतु आवंटित धन को, किसी अन्य मदों में खर्च करना या बिना खर्च किये केंद्र को वापस करना तथा केंद्र एवं राज्यों के साथ धन के आवंटन में भेदभाव

UPSC - 2013

3. केन्द्र सरकार प्रायः राज्य सरकारों के समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों के कष्ट निवारण में खराब प्रदर्शन की शिकायत करती है। जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्गों के सुधार हेतु सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की पुनर्रचना का उद्देश्य राज्यों को उनके बेहतर कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

4. विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से जुड़े परंपरागत एवं यांत्रिक नौकरशाही व्यवस्था, जहां कर्मचारी एवं अधिकारियों में लोकसेवा की भावना का अभाव संवेदनशीलता का अभाव, लोचशीलता का अभाव, लक्ष्य-उन्मुख के स्थान पर नियम आधारित शासन प्रणाली, लालफीताशाही शासन, फलतः कार्य निष्पादन में देरी एवं गुणवत्ता का अभाव

UPSC - 2016

5. "पारम्परिक अधिकारीतंत्र संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।" टिप्पणी कीजिए।

"Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio economic development in India." Comment.

5. विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों में, दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव, उदासीनता एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षित नहीं होना

फलतः कार्यक्रमों के प्रति लोगों को जागरूक करके, कार्यक्रमों के बारे में लोगों को परिचित कराकर और कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता/जनसहभागिता प्राप्त करके, उसे सफल बनाने में अक्षम

UPSC - 2016

2. "विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है।" भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिए।

UPSC - 2019

7. सुभेद्य वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। चर्चा कीजिए। 15

6. विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में शामिल विभिन्न एजेंसियों/क्षेत्रकों के मध्य समन्वय का अभाव

UPSC - 2018

4. समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाय? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

UPSC - 2019

6. विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह 'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए 15

7. सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का ह्रास फलतः भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, जातिवाद आदि
फलतः योग्यता की उपेक्षा एवं विकास की प्रक्रिया बाधित

8. सरकार के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव

सामाजिक संरचना के स्तर पर कमियाँ / चुनौतियाँ / मुद्दे

9. अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव

फलतः कार्यक्रमों के उद्देश्य, महत्व एवं प्रकृति के बाद में, आम जनता में अनभिज्ञता

फलतः जनसहभागिता का अभाव

10. भूख और गरीबी

फलतः मानव संसाधन विकास एवं कार्यक्षमता की निम्नतर स्थिति, सरकारी योजनाओं का नवाचारी विकास की ओर उन्मुख न हो पाना और लोगों का विकास के लाभ से वंचित होना

11. जातीय एवं लिंग असमानता, रूढ़िवादी मान्यताएं आदि परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के तत्व

12. आधारभूत अवसंरचनाओं, जैसे- सड़क, संचार, कर्मचारी, कार्यालयी सुविधाओं की उपलब्धता में कमी

UPSC - 2016

5. "पारम्परिक अधिकारीतंत्र संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।" टिप्पणी कीजिए।

"Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio economic development in India." Comment.

13. विकास की पूर्वापेक्षाओं को लागू किये बिना विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

14. उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद आदि

15. जनसंख्या विस्फोट

16. विश्व सहयोग का अभाव एवं विभिन्न हित समूहों का निहित स्वार्थ (COP-21)

UPSC - 2018

1. "विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के 'संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम' अपर्याप्त रही है।" सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए।

UPSC - 2019

1. उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। 10

विकास नीतियों एवं कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु सुझाव

1. विकास नीति एवं कार्यक्रमों के निर्माण में, सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा दिया जाये और राज्य की सहभागिता एवं सहयोग की प्राप्ति की जाये (इस दिशा में भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन करके 'टीम इंडिया' के रूप में प्रयास)

2. विकास नीति एवं विकास कार्यक्रमों का निर्माण, लोगों की आवश्यकताओं, इनके मध्य प्राथमिकता, विद्यमान संसाधन एवं सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाये (PRAGATI के रूप में प्रयास)

3. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, कार्यक्रम की प्रकृति के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाये; उनके नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया जाये एवं उन्हें लोकसेवा हेतु प्रेरित किया जाये और उन्हें संवेदनशील बनाया जाये;

उनके अंदर कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में इच्छाशक्ति का विकास किया जाये; विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न एजेंसियों एवं विभागों तथा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य सामंजस्य बनाया जाये

4. दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ इन योजनाओं को लागू किया जाये और योजनाओं का राजनीतिकरण एवं विलय प्रक्रिया को रोका जाये

5. स्थानीय शासन/पंचायती राज को इस दिशा में सक्रीय एवं सफल बनाया जाये, साथ-साथ आधुनिक शिक्षा का प्रसार और जागरूकता अभियान चलाकर विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता को बढ़ाया जाये

6. योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए,

7. प्रौद्योगिकी एवं नवाचार बल देते हुए व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास को विकसित किया जाये एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया जाये; उनके उत्पाद हेतु समुचित बाजार प्रणाली विकसित की जाये (चीनी मॉडल);

8. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाये; लोगों के नैतिक स्तर को ऊपर उठाया जाये एवं जातिवाद, परिवारवाद आदि को समाप्त किया जाये

9. प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाये; सूचना का अधिकार (RTI) इस दिशा में सराहनीय प्रयास है, परंतु इसे व्यावहारिक स्तर पर सफल बनाया जाये
10. जनसंख्या वृद्धि को मानव संसाधन विकास के साथ समायोजित किया जाये

11. गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता तथा परंपरागत सामाजिक संरचना के तत्वों, जैसे- जाति असमानता, लिंग असमानता आदि को यथासंभव समाप्त किया जाये

12. विकास की अन्य एजेंसियों, जैसे- NGO, SHG आदि का नियंत्रित एवं समुचित प्रयोग किया जाये साथ ही, आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास किया जाये